



Neutral Citation No. - 2026:AHC:33539

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए क्रमांक 2236 वर्ष 2026

महफूज आलम

..... याचिकाकर्ता(ओ)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(यो)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता	: शमा बेगम
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री शमा बेगम और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की दलीलें सुनी गईं।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह वार्ड-बॉय के रूप में कार्यरत था। वह उस तिथि से नियमितीकरण चाहता है जिस तिथि से कनिष्ठों को नियमित किया गया है।
3. इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
4. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्ट्या चौथे प्रतिवादी, निदेशक, मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय, प्रयागराज द्वारा खारिज किया जाना आवश्यक है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस प्रकार की दलील पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. विरोधी पक्षों की दलीलों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का **खारिज** इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता चौथे प्रतिवादी के समक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। चौथे प्रतिवादी को अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, वह दो सप्ताह के भीतर, याचिकाकर्ता की पात्रता, उपयुक्तता और यदि कोई दावे हों तो उन्हें पूरा करते हुए, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा। यदि चौथे प्रतिवादी की राय है कि मामले को यदि किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है तो संबंधित कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना ही कर दिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना इस बात का संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है।

8. उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

फरवरी 16, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”